कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0– 321/16-17 /

वाद का प्रकार:– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
05.01.2021	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–03 खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक:– 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांक:–09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भुमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी ।जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा सरता थाना नं0 39 खाता नं0 94 खेसरा नं0 – रकबा 3.75 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास ,अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या I के पृष्ठ संख्या 149 पर जमाबंदी रैयत मारकुस कुजुर ... पिता/पति लहुरा कुजुर के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूनि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 6/01/2021 को रखें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा अंचल अधिकारी कर्रा	

आदेश का क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी

17/02/2021

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत उपस्थित/अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत मारकस मुण्डा पिता लटुरा मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है।

जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा लरता थाना नं0 39 के सर्वे खतियान में खाता सं0 94 गैरमजुरूआ खास किस्म ——— दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii में भाग I पृष्ट सं0 149 खाता 94 प्लॉट सं0 ——— रकबा 3.75 एकड़ भूमि मारकस मुण्डा पिता लटुरा मुण्डा के नाम से बिना प्राधिकार का दर्ज पाया। पंजी II में पहला लगान वसूली वर्ष 1989 से दर्ज है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बंदोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल कब्जा नहीं है। अवैध जमाबंदीदार असूचित जनजाति जाति के श्रेणी में आते हैं। भूमि का वर्तमान स्वरूप स्पष्ट नहीं है। अवैध जमाबंदीदार सैनिक/अर्द्धसैनिक बल के/वीरगति/शहीद के उत्तराधिकारी, पूर्वी पाकिस्तान एवं वर्मा से आये हुए शरणार्थी सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार, भूमिहीन दिव्यांग नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि, शासकीय परिसर/संस्थान/राजपथ/उच्चपथ/मुख्यपथ से दूरी पर है। उक्त चिन्हित जमाबंदी में प्लॉट की विवरणी दर्ज नहीं है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा लरता थाना नं0 39 खाता 94 प्लॉट सं0 ——— रकबा 3.75 एकड भूमि को अवैध/अनियमित जमाबंदी त्रुटिपूर्ण रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई तत्काल स्थगित की जाती है।

लेखापित संशोधित।

17/02/21

अंचल अधिकारी
कर्रा।

17/02/21

अंचल अधिकारी
कर्रा।